राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3876/2025

रजनी बाई मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2025
आदेश की दिनांक : 22.08.2025
अपीलार्थी की ओर से : **श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता**

समक्ष :– पूनम दरगन, (न्यायिक) सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति जनवरी 2014 में पटवारी के पद पर हुई। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.01.2014 को प्रत्यर्थी विभाग में पटवारी के पद पर कार्यग्रहण किया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत् है। राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील मुण्डवा जिला नागौर से पटवार मण्डल बस्सी, तहसील जिला जयपुर में किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के पश्चात् अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर, जयपुर के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की तथा प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करने पर वहां पूर्व से पदस्थापित रामावतार मीणा का अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी को पटवार मण्डल बस्सी का चार्ज नहीं दिया गया तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 3 ने अस्थायी आधार पर आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा राजस्व मण्डल के आदेशों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अस्थायी तौर पर पटवार मण्डल बैनाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध प्रत्यर्थी सं. 3 को दिनांक 11.02.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी को मूल पदस्थापित स्थान पटवार मण्डल बस्सी में पदस्थापित किया जावें तथा अपीलार्थी को चार्ज दिलाया जावें। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज तक अपीलार्थी को पटवार मण्डल बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर में पदस्थापित नहीं किया है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2025 (अनुलग्नक–4) को पटवार मण्डल बस्सी में पूर्व से कार्यरत् रामावतार मीणा की पदोन्नति भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर होने के पश्चात् रामावतार मीणा को भू

अभिलेख निरीक्षक के पद पर तहसील कार्यालय बस्सी में पदस्थापित कर दिया गया है तथा पटवार मण्डल बस्सी का पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को मूल पदस्थापित स्थान पर प्रत्यर्थीगण द्वारा पदस्थापित नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अपीलार्थी का पदस्थापन पटवार मण्डल बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर पदस्थापित रखा जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
(न्यायिक)सदस्य